संख्या- 11/2016/ 313/चालीस-2016-बजट(3)/16

प्रेषक,

अभय कुमार बाजपेई,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2016

विषय: बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2016 को मनाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2016 को मनाया जाना है। उक्त दिवस पर जन्म दिवस समारोहों के आयोजन हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये जनपद स्तर के कार्यक्रमों पर व्यय हेतु प्रदेश के 75 जनपदों के लिए रू0 26,25,000/-(रू0 छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि प्रत्येक जनपद को रू0 35,000/-(रू0 पैंतीस हजार मात्र) की दर से प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने /व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि को प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार शत-प्रतिशत व्यय किया जाएगा तथा आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित किये जाने के उपरान्त प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, पूर्ण व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-12-2016 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 31-01-2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वितिय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-12-डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभय कुमार बाजपेई
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2016/ 313/(1)चालीस-2016-बजट(3)/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति भेजते हुए समयान्तर्गत शत-प्रतिशत धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।

(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।

(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।

(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।